कला-संस्कृति के संरक्षण के साथ प्रदेश का विकास

विश्वविख्यात संगीतज्ञ पं. राजा काले एवं पं. तरुण भट्टाचार्य तानसेन अलंकरण से विभूषित

▶ तानसेन समारोह में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री

नवभारत न्यूज

ग्वालियर. संगीतधानी ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के वर्चुअल मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुए भव्य समारोह में शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक पं. राजा काले मुम्बई को वर्ष 2024 एवं विश्व विख्यात संतूर वादक पं. तरुण भट्टाचार्य कोलकाता को वर्ष 2025 के तानसेन अलंकरण से विभूषित किया गया.

इसी तरह मण्डलेश्वर की साधना परमार्थिक संस्थान समिति को वर्ष 2024 एवं ग्वालियर की रागायन संगीत समिति को वर्ष 2025 के राजा मानसिंह तोमर सम्मान से अलंकृत किया गया. साधना परमार्थिक संस्था की ओर से श्रीमती प्रेरणा कोल्हटकर एवं रागायन संस्था की ओर से महंत रामसेवकदास जी महाराज ने सम्मान प्राप्त किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी सम्मानित मूर्धन्य संगीत साधकों को बधाई दीं. साथ ही कहा कि मध्यप्रदेश सरकार कला, संस्कृति का संरक्षण करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है.

ऐतिहासिक ग्वालियर दुर्ग से पूरी दुनिया को शून्य का परिचय करा रहे चतुर्भुज मंदिर की थीम पर तानसेन समाधि परिसर में बने भव्य मंच पर सोमवार की सांध्य बेला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के वर्चुअल मुख्य आतिथ्य में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश एवं दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह का शुभारंभ हुआ. समारोह की अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने की. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं विधायक मोहन सिंह राठौर बतौर विशिष्ट अतिथि मंचासीन थे. मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि संगीत की नगरी ग्वालियर में आयोजित होने वाला तानसेन संगीत समारोह प्रदेश व देश का सबसे प्रतिष्ठित समारोह है. संगीत सम्राट तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे. तानसेन की तान ने ग्वालियर को दुनिया में अलग पहचान दिलाई. गान महिर्षि तानसेन ने अपने गुरू स्वामी हरिदास के साधिन्य में संगीत की बारीकियां सीखकर ध्रुपद गायिकी सहित शास्त्रीय संगीत को नए आयाम दिए.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैदिक काल से शास्त्रीय संगीत हमारे जीवन और संस्कृति का हिस्सा रहा है. सामवेद इसका साक्षी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में कला व संस्कृति को नए आयाम मिल रहे हैं. नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी अद्वितीय छाप छोड़ रहा है. आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है. वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरा की सतत यात्रा है. पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने कहा कि तानसेन समारोह उस वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरा की सतत यात्रा है, जिसमें पिछले 101 वर्षों से संगीत की आत्मा, रागों की अनुभूति और स्वर की साधना एक सामूहिक तपस्या बनकर प्रवाहमान हो रही है. यह समारोह हमें याद दिलाता है कि संगीत हमारी परंपरा, हमारी जड़ों व हमारी आत्मा का संवाद है.

फीस वृद्धि मामले में स्कूल प्रबंधकों को राहत

▶ वापस लौटाने का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

जबलपुर, 15 दिसंबर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों को मनमानी फीस वसूली के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है.

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य के अधिकारियों ने बहुत ही खराब माहौल में काम किया और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया. गौरतलब है कि दो दर्जन से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मनमानी फीस वसूली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी. अपील दायर करने वाले अधिकांश स्कूल मिशनरी संस्थाओ के द्वारा संचालित किये जा रहे थे. राज्य की गाइडलाइन का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में जिला प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधक से जुड़े व्यक्तियों तथा प्राचार्य पर प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था. जस्टिस विवेक रूसिया और प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने कहा कि अधिकारियों ने बहुत खराब माहौल में और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने अधिकार से बाहर काम किया. राज्य के अधिकारियों का कार्य स्कूलों के मैनेजमेंट में दखलंदाड़ी के बराबर है. स्टूडेंट्स की फीस वापस करने का राज्य सरकार का निर्देश टिकने लायक नहीं है. अधिकारी आरोपों को साबित करने में नाकाम रहे. हाई कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके पास फीस तय करने और अलग-अलग निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है, जो स्कूल चलाने वाले मैनेजमेंट या सोसाइटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. जिस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे मामले को हैंडल किया, स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच अनबन और मतभेद पैदा हो गए.

एक नजर में

नशीली कफ सिरप के साथ आरोपी गिरफ्तार

सीधी, 15 दिसंबर. पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा गौरव राजपूत द्वारा चलाए जा रहे अभियान प्रहार 2.0 के तहत पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई. कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित कोडिन फास्फेट युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण एवं बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नशीली सिरप जप्त की है. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है. पुलिस के अनुसार थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हिनौता में एक व्यक्ति अपने घर के पीछे अवैध रूप से कोडिन फास्फेट युक्त कफ सिरप बिक्री हेतु संग्रहित कर रखा है. सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके निर्देशानुसार पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर मुखबिर सूचना की तस्दीक की गई, जहाँ संदेही के घर के पीछे एक बोरी से ओहमेरेक्स-टी कफ सिरप की कुल 200 शीशी ,प्रत्येक 100 एमएल, अनुमानित कीमत 60 हजार बरामद की गई. संदेही ने अपना नाम जागीर खान पिता मोहम्मद असगर उम्र 21 वर्ष बताया. बरामद नशीली कफ सिरप को विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया. वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया. आरोपी उपरोक्त नशीली कफ सिरप कहां से लेकर आया था तथा इसके आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में गहन जांच की जा रही है. इस सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कन्हैया सिंह बघेल, उप निरीक्षक राजमणि अहिरवार, उनि पुष्पेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक तिलक राज सिंह सेंगर, महिला प्रधान आरक्षक ममता पाठक एवं आरक्षक बालेंद्र सिंह का सराहनीय योगदान रहा.

पुलिस ने नैकहवा से पकड़ा रेत लोड टीपर वाहन

सिंगरौली, 15 दिसंबर. जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत नैकहवा में आज दिन सोमवार को पुलिस ने एक टीपर वाहन को सोन नदी से रेत लोड पकड़ते हुये कार्रवाई की है. गढ़वा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज दिन सोमवार को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बगदरा तरफ से एक सफेद रंग की टीपर वाहन क्रमांक यूपी 63 बीटी 2598 का चालक टीपर गाड़ी में सोन नदी से ग्राम नैकहवा तरफ अवैध रेत लोड कर बगदरा तरफ ले जाने वाला है. सूचना की तश्दीक थाना पुलिस द्वारा किया गया. जहां आरोपी मुंशीलाल बारी पिता प्रहलोदी बारी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खटाई द्वारा टीपर वाहन क्रमांक यूपी 63 बीटी 2598 में लोड रेत सहित कुल कीमत 25 लाख 35 हजार रूपये का परिवहन करते पाया जाने पर बिधिवत जप्त किया जाकर आरोपी मुंशीला बारी के बिरूद्ध केस दर्ज किया.

वकील मृत्युंजय ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

ग्वालियर, 15 दिसंबर. गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के आदर्शपुरम इलाके में वकील मृत्युंजय सिंह चौहान ने अपने किराए के घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब मृत्युंजय ने अपनी मां का फोन अटेंड नहीं किया तो फिर उन्होंने उसके दोस्तों को बताया. सोमवार सुबह दोस्त देखने पहुंचे तो मृत्युंजय अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही गोले का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृत्युंजय मूलत: श्योपुर जिले का रहने वाला है, खबर मिलते ही मृत्युंजय की मां शिव कुमारी चौहान भी ग्वालियर पहुंच गई। मां ने बताया कि उनके बेटा मृत्युंजय सिंह पिछले पांच साल से मुरैना में तैनात महिला एसआई के साथ लिव इन में रह रहा था। हर शनिवार को मृत्युंजय मुरैना में एसआई के पास जाता था। इसी महीने 30 दिसंबर को दोनों शादी करने वाले थे. मां ने बताया कि मृत्युंजय ने पिछले दिन उन्हें फोन कर बताया कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। मृत्युंजय ने बताया कि महिला एसआई को सरप्राइज देने के लिए वह बीती रात मुरैना उसके क्वार्टर पर पहुंच गया। जब उसने क्वार्टर के अंदर जाकर देखा तो वहां कमरे में महिला एसआई के अलावा आरक्षक भी था। कमरे में शराब की बदबू भी आ रही थी। जब उसने आरक्षक को फटकारा तो फिर विवाद हुआ.

बेटी की हत्या के अपराध में मां को मिली हाईकोर्ट से राहत

आजीवन कारावास की सजा को किया निरस्त

जबलपुर, 15 दिसंबर. बेटी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पीड़ित मां ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि नायब तहसीलदार द्वारा बयान दर्ज करते समय अपीलकर्ता की दिमाग हालत ठीक नहीं थी. इसलिए उसके बयान को कबूलनामा नहीं माना जा सकता है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता माँ को दोषमुक्त कर दिया. मुलताई निवासी ज्योति डोंगरदिये उम्र 30 साल की तरफ से दायर अपील में बेटी की हत्या के आरोप में जिला न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने को चुनौती दी गयी थी. अपील में कहा गया था कि उसकी बेटी इशिता 5 मार्च 2023 को कुंए में गिर गयी थी. जिससे बचाने के लिए उसने भी कुंए में छलांग लगा दी थी. इस घटना में उसकी बेटी की मौत हो गयी थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था. अस्पताल में उसके मृत्युपूर्व बयान दर्ज किये गये थे. जिसमें उसने माना था वह अपनी बेटी के साथ कुंए में कूदी थी. अपीलकर्ता की तरफ से तर्क दिया था.

एएसपी इसरार मंसूरी को हाईकोर्ट से झटका

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट से अनूपपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहम्मद इसरार मंसूरी को झटका लगा है. दरअसल दो साल पूर्ण होने से पहले किये गये स्थानातंगरण को कटघरे में रखा गया था. जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने अनूपपुर से भोपाल किये गये तबादले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका निरस्त कर दी है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रकाश सिंह बादल के निर्णय का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह ऑपरेशनल ड्यूटी में नहीं है और उनका अनूपपुर से भोपाल किया गया तबादला उचित है. दरअसल एएसपी मोह इसररा मंसूरी ने अपने 2 सितंबर 2025 को भोपाल किये गये स्थानातंरण को चुनौती देते यह मामला दायर किया था.

दिल्ली की महारैली में दहाड़े आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष

झाबुआ, 15 दिसंबर. कांग्रेस के युवा विधायक एवं आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया ने भाजपा की सत्ता के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से दहाड लगाई तथा भाजपा सरकार को सत्ता चोरी व वोट चोरी के खिलाफ चुनोती दी. उन्होंने कहा लोकतत्र को कमजोर करने की साजिश को अब सहना नहीं किया जाएगा.

खुले में मांस की बिक्री पर सख्त कार्रवाई

नगर पालिका के अमले ने सामग्री की जब्त

सीधी, 15 दिसंबर. कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देश पर नगर क्षेत्र में स्वच्छता, जनस्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा खुले में मुर्गे एवं मांस की बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई.

कार्यवाही के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए विक्रेताओं से खुले में रखा मांस एवं मुर्गे जप्त किए गए. मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर क्षेत्र में खुले में मांस की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित है. खुले में मांस विक्रय से गंदगी फैलने के साथ-साथ संक्रमण एवं संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह कार्यवाही की गई है.नगर पालिका की टीम द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, जहां निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत स्थलों के बाहर खुले में मांस एवं मुर्गों की बिक्री की जा रही थी. ऐसे मामलों में नियमानुसार जप्ती की कार्यवाही करते हुए संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई. मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि आगे भी यदि कोई व्यक्ति खुले में मुर्गे या मांस की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

पूर्व महापौर के पुत्र पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

देवास. शहर की एक महिला से प्लॉट दिलाने के नाम पर 25 लाख 51 हजार रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दिग्विजय सिंह ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी पूर्व महापौर एवं वर्तमान कांग्रेस प्रदेश महासचिव का पुत्र बताया गया है। फरियादी सीमा शर्मा ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2021 में आरोपी दिग्विजयसिंह ठाकुर ने कस्तूरी विहार कॉलोनी में प्लॉट दिलाने का प्रस्ताव दिया था। कॉलोनी के विकसित होने, टीएनसी प्रक्रिया पूर्ण होने और शीघ्र रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिलाकर आरोपी ने अलग-अलग तिथियों में कुल 25 लाख 51 हजार रुपये प्राप्त किए।

सेही का शिकार करने की फिराक में घूम रहे आरोपी गिरफ्तार

▶ मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई आरोपियों से हो रही पूछताछ

शाजापुर, 15 दिसंबर. वन विभाग ने सेही का शिकार कर उसे खाने की फिराक में घूम रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

वन विभाग को यह सफलता मुखबीर की सूचना पर मिली है. अब विभागीय अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों ने बदमाशों से एक स्कूटी भी बरामद की है.

जानकारी के अनुसार रविवार को दिल्लोद निवासी ऋषिराज पिता सुरेसिंह प्याज के खेत में कुछ काम कर रहा था. जहां उसने देखा कि एक सेही उसके प्याज को नुकसान पहुंचा रही है. इस पर उसने पत्थर से उसे मार दिया. उसके मरने के बाद में उसने अपने एक निजी चिकित्सक भेरुलाल को सूचना दी, जिसने उसे सेही के मामले में अलग ही जानकारी दी और बताया कि इसका ज्यूस पीने से काफी फायदा होता है. इस पर इन्होंने अपने एक और साथी को अपने साथ लिया और लोंदिया रोड पर एक ढाबे वाले के पास पहुंचे. जहां उसे बताया कि हमें इसे काटना नहीं आता. आप इसके कांटे उतारकर इसे पकाकर हमें दे दो. आधा आप रख लेना और बाकी हम लोग ले लेंगे, लेकिन आरोपी अपने प्लान में कामयाब हो पाते, इसके पहले ही इसकी सूचना वन विभाग तक पहुंच गई, जिन्होंने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया. पूछताछ में ऋषिराज ने बताया कि वह इस सेही से काफी परेशान हो चुका था, जो आए दिन उसके प्याज को नुकसान पहुंचा रही थी. इसलिए उसने इसे भगाने का प्रयास किया था, लेकिन वह मर गई. वन विभाग ने भेरूलाल पिता बालचंद्र 55 निवासी ज्योतिनगर, ऋषिराज पिता सुरेसिंह 18 निवासी दिल्लोद व कपिल पिता मनोहर सिंह 21 निवासी दिल्लोद को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में उप वन मंडलाधिकारी एफएस नीनामा, मोहनलाल विश्वकर्मा, सचिन पाटीदार, प्रदीप मंडलोई, डिप्टी रेंजर ललित उपाध्याय, डिप्टी रेंजर अशोकसिंह बघेल की सराहनीय भूमिका रही.

प्रतिबंधित चाइनीज मांझा से नगर सैनिक का चेहरा कटा

छिंदवाड़ा, 15 दिसंबर. जिले में प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक रहा जानलेवा चाइनीज मांझा एक बार फिर गंभीर दुर्घटना का कारण बन गया है.

आज शाम को चंदनगांव स्थित माता मंदिर के पास एक एक्टिवा सवार नगर सैनिक रामेश्वर सोनारे इस मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए. दुर्घटना के दौरान मांझा उनके गले में फस गया, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने गर्म जैकेट पहनी हुई थी, जिससे उनका गला तो सुरक्षित रहा. हालांकि, मांझा फिसलकर उनके चेहरे पर आ गया और होंठ से लेकर गाल तक एक गहरा कट लग गया. रामेश्वर सोनारे, जो वर्तमान में एसडीएम कार्यालय में तैनात हैं, को तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने चेहरे पर आए गंभीर घाव की स्थिति देखते हुए नौ टांके लगाए. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की सख्ती पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चाइनीज मांझा प्रतिबंधित होने के बावजूद बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है. हालाकि इस मामले में कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे ने कहा कि एक पुलिस टीम बनाकर चाइनीज मांझा की अवैध बिक्री रोकने के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी.

जिला टीम ▶ परिचय बैठक में कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारियां

भाजपा जिला कार्यकारिणी की घोषणा

धार, 15 दिसंबर. भारतीय जनता पार्टी धार की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा रविवार को गई.

यह घोषणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती द्वारा जारी सूची के अनुसार संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से अनुभवी, सक्रिय व संगठन निष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. जिसमे दो जिला महामंत्री सात जिला उपाध्यक्ष छ्ः जिला मंत्री समेत 21 भाजपा कार्यकर्ताओं में पांच महिला को जिला टीम में शामिल किया गया. सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में नव-नियुक्त जिला पदाधिकारियों की परिचयात्मक बैठक संपन्न हुई जिसको जिलाध्यक्ष निलेश भारती ने संबोधित किया. जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने कहा कि जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ताओ को संगठन में विभिन्न अभियानों में सेवा कार्य करने काम मिलेंगा. हम सब भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता है जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में राष्ट्र विचारधारा व विकसित भारत के लिए कार्य कर रहे है. मुझे पूरा विश्वास है आप सभी नव-नियुक्त जिला पदाधिकारी अपने पद के प्रति न्याय करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में धार, सरदारपुर और बदनावर में भाजपा का कमल खिलाएंगे.

> भाजपा जिला कार्यकारिणी- घोषित कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष पद पर अमृत जैन पीथमपुर, रोमा धर्मेंद्र मंडलोई सरदारपुर, प्रेमचंद परमार बदनावर, कपिल निनामा घाटाबिल्लौद , महेश रावला तिरला,श्रीमती राखी राय धार और सुनील मोदी कानवन को नियुक्त किया गया है. जिला महामंत्री के रूप में राकेश पटेल सरदारपुर और देवेंद्र सोनोने धार को जिम्मेदारी दी गई है.

बाघ का शिकार करने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार

उमरिया. जिले के सामान्य वन मंडल अंतर्गत चंदिया परिक्षेत्र में कथली नदी के किनारे बाघ की मौत मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है,आरोपियों के पास से तार और खूंटी भी जब्त हुई है. जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया. बता दें कि बीते शनिवार को चंदिया वनपरिक्षेत्र के तहत कथली नदी के समीप बाघ को करंट लगाकर मारा गया था, जिसके बाद वन विभाग ने जांच शुरू की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के नाम अशोक बैगा, सोमलाल बैगा, लखुआ बैगा, लल्लू कोल, अंजनी यादव, अच्छेलाल बैगा हैं.

पुलिस ने किया लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश

एक ही परिवार के 9 सदस्यों को बनाया था शिकार

मंदसौर, 15 दिसंबर. भावगढ़ थाना पुलिस ने भजियों में नशीला पदार्थ मिलाकर एक ही परिवार के 9 सदस्यों को बेहोश कर नकदी व जेवरात लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है.

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है. पुलिस के अनुसार ग्राम नांदवेल निवासी फरियादी सत्यनारायण पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी 20 नवंबर 2025 को वाराणसी निवासी ज्योति से हुई थी. 9 दिसंबर की रात ज्योति ने पकौड़े बनाकर परिवार को खिलाए, जिनमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था. इसके बाद सभी सदस्य बेहोश हो गए और ज्योति घर से चांदी के जेवरात व 50 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गई. पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के मार्गदर्शन में गठित टीम ने जांच कर ज्योति, उसके सहयोगी अन्तिमा पति प्रदीप राय तथा शादी करवाने में भूमिका निभाने वाले रमेशसिंह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से चोरी गई नकदी व जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं. मुख्य आरोपी बबलू निवासी गोरखपुर (उ.प्र.) फरार है, जिसकी तलाश जारी है.